

लोकअदालत

सत्र-2015

गदस्त सं०:-

आदेश फलक :-

विविध वाद सं०

11 / 2017

द. प्र० सं० 107

मिथलेश्वर राम के नाम : अशोक राम + 4

वाद लम्बित अन्तर्गत न्यायालय

अशोक राम का अधिकारी सदर गेडी निगर


आदेश की तिथि


आदेश एवं न्यायालय का हस्ताक्षर

अभियुक्ति

23.2.19

उभय पक्ष अनुपस्थित । अभिलेख का अवलोकन किया ।
विविध वाद में नोटिस देने के बावजूद भी दोनों पक्ष
उपस्थित नहीं हुए हैं । इससे प्रतीत होता है कि दोनों
पक्षों को इस वाद में कोई अभिरुची नहीं है और न
शान्ति भंग होने की कोई संभावना प्रतीत होता है । अतः
अभिरुची के अभाव में इस वाद की अग्रतर कार्रवाई लोक
अदालत के माध्यम से समाप्त की जाती है ।


सदस्य
23.02.2019


सदस्य